प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
रायबरेली।

सेवा मे,

प्रबन्धक,
लाल बहादुर शास्त्री इण्टर कालेज
सरेनी, रायबरेली।

पत्रांक लि0भ0/6895-6900/2022-23 दिनांक 03.10.2022

विषय- विद्यालय में रिक्त लिपिक श्रेणी/शिक्षणेत्तर पद पर नियुक्ति की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपके पत्रांक 519/2022-23 दिनांक 22.09.2022 द्वारा लिपिक पद पर चयन हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव को इस कार्यालय के पत्रांक मा0/6753-56/2022-23 दिनांक 26.09.2022 के द्वारा शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0 लखनऊ की सेवा में उपलब्ध कराया गया। जिसके कम मे शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक सा0(1)शि0 /वाद/6094-96/2022-23 दिनांक 29 सितम्बर 2022 के द्वारा सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या-परिषद-9/762 दिनांक 06.01.2022 के माध्यम से सर्व साधारण की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रसारित शासन के पत्र संख्या 2058/15-05-2021-1600(359)/2014 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 25 नवम्बर 2020-21 द्वारा परिषद के विनियमो के अध्याय-तीन(सेवा की शर्ते), के विनियम 101 में किये गये संशोधन के आलोक में आपके विद्यालय में रिक्त सहायक लिपिक 01 पद को सीधी भर्ती से भरे जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

अत: आप द्वारा लिपिक पद पर चयन हेतु संस्तुति सहित उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुसार तथा शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक सा0(1)शि0/वाद/6094-96/2022-23 दिनांक 29 सितम्बर 2022 के द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के आधार पर विद्यालय के रिक्त सहायक लिपिक के 01 पद को सीधी भर्ती से भरे जाने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान की जाती है।

1- उक्त प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या-परिषद-9/762 दिनांक 06.01.2022 के द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयो में लिपिक श्रेणी/शिक्षणेत्तर पदो पर चयन हेतु निर्धारित चयन प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

2- जिस पद के प्रति नियुक्ति की जा रही है उस पद के प्रति माननीय न्यायालय मे कोई वाद लम्बित न हो।

3- लिपिक संवर्ग मे कोई भी कर्मचारी मृतक आश्रित के रूप में समायोजन हेतु शेष न हो।

4- पूर्व से अधिसंख्य पद पर कार्यरत कर्मचारी समायोजन हेतु शेष न हो।

5- संस्था में पदोन्नति हेतु कोई पात्र कर्मचारी शेष न हो।

6- विनियम 101 के खण्ड (3) के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर एवं जनपद में सर्वाधिक प्रसार वाले (जिला सूचना अधिकारी द्वारा दी गयी सूची के प्रथम 05 मे से) कम से कम 02 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में आरक्षण के अनुसार पद का विज्ञापन प्रकाशित कराया जाय।

7- अभ्यर्थी का आवेदन पत्र विद्यालय द्वारा केवल रजिस्टर्ड डाक से ही स्वीकार किया जायेगा, तथा उसकी एक प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक रायबरेली की मेल आई0डी0 पर प्रेषित की जायेगी। विज्ञापन में जिला विद्यालय निरीक्षक रायबरेली की मेल आई0डी0 diosrblclerkapplication@gmail.com प्रकाशित करायी जाय।

8- आवेदन पत्र भरने हेतु ऐसा अन्तिम दिनांक (जो साधारणतया विज्ञापन प्रकाशन के दिनांक से 21 दिन से कम नही होना चाहिए) विहित करते हुए विज्ञापन प्रकाशित कराया जाय।

9- विज्ञापन में पद का वेतनमान व अन्य भत्ते, पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता, न्यूनतम आयु यदि कोई हो

क्रमशः........2

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

आरक्षण तथा आवेदन शुल्क के सम्बन्ध मे विवरण दिया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन शुल्क बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर एवं एन०ई०एफ०टी० के माध्यम से विद्यालय के प्रबन्धक/प्राधिकृत नियंत्रक/प्रबन्ध संचालक के पद नाम से संचालित खाते मे जमा किया जायेगा।

10- ऐसे पुरूष अभ्यर्थी जो विवाहित हो तथा जिनकी एक अधिक जीवित पत्नियां है अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही, एक जीवित पत्नी है, पात्र नही माने जायेगे।

11- आवेदन स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक ही अभ्यर्थियो द्वारा धारित अर्हता स्वीकार की जायेगी। आवेदन की अन्तिम तिथि के बाद ग्रहण की गयी योग्यता/अर्हता पात्रता हेतु मान्य नही होगी।

12- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र मे गलत तथ्यो को, जिनका प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नही की जा सकती, देने पर प्रश्नगत चयन से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

13- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। जन्म तिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नही होगा।

14- शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक डी०ई०/2415-2527/2022-23 दिनांक 18 सितम्बर 2022 द्वारा लिपिक श्रेणी के पदो पर चयन हेतु निर्गत संशोधित समय सारिणी के अन्तर्गत समस्त कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

15- प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष विद्यालय को पंजीकृत डाक से प्राप्त आवेदन पत्रो का विवरण संलग्न प्रारूप पर पंजिका में तैयार करते हुए आवेदन प्राप्ति तिथि के अगले दिवस आवेदन पत्रो की प्राप्ति का विवरण तिथिवार संलग्न प्रारूप पर इस कार्यालय को अनिवार्यतः उपलब्ध कराया जाय।

16- भविष्य मे यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश मे आता है तो प्रश्नगत अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

संलग्नक-

1- आफलाइन आवेदन का प्रारूप।

2- अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र रजिस्ट्री से विद्यालय में प्राप्त होने के उपरान्त उनका विवरण पंजिका में तैयार करने से सम्बन्धित प्रारूप।

3- शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक डी०ई०/2415-2527/2022-23 दिनांक 18 सितम्बर 2022 द्वारा लिपिक श्रेणी के पदो पर चयन हेतु निर्गत संशोधित समय सारिणी।

भवदीय
03/10/2022
(ओमकार राणा)
जिला विद्यालय निरीक्षक
रायबरेली

पृ०सं०मा० लि०म०/ /2022-23 दिनाक वही।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित अधिकारियो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-जिलाधिकारी रायबरेली।

2-शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र० लखनऊ।

3-अपर शिक्षा निदेशक (मा०) शिक्षा निदेशालय प्रयागराज।

4-संयुक्त शिक्षा निदेशक षष्ठ मण्डल लखनऊ।

5-प्रधानाचार्य, लाल बहादुर शास्त्री इण्टर कालेज सरेनी रायबरेली।

जिला विद्यालय निरीक्षक
रायबरेली

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner